उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4
संख्या-7/2020/680/तीस-4-2020
लखनऊ : दिनांक : 14 जुलाई, 2020

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1997) की धारा 3 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और कोरोना वायरस (कोविड-19) के फैलाव के कारण घोषित लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते हुए राज्यपाल, माह मार्च एवं अप्रैल, 2020 हेतु धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन लोक सेवायान और मालयान पर देय कर के सम्बन्ध में संदेय शास्ति के भुगतान से छूट प्रदान करती हैं।

यह छूट केवल तभी प्रदान किया जायेगा, यदि माह मार्च एवं अप्रैल, 2020 के देय कर का भुगतान इस अधिसूचना के जारी किये जाने के पश्चात् तीस दिन के भीतर कर दिया जाता है। उक्त समय सीमा के अन्तिम दिन अर्थात् 30वें दिन अवकाश होने पर देय कर अगले कार्य दिवस को प्रदान किया जायेगा।

आज्ञा से,

राजेश कुमार सिंह
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-7/2020/680(1)/तीस-4-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को दिनांक 14 जुलाई, 2020 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 200 प्रतियॉ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

आज्ञा से,

विनोद कुमार
संयुक्त सचिव।

संख्या-7/2020/680(2)/तीस-4-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, (विज्ञापन प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को प्रदेश के 02 प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए उनकी प्रतियां शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

विनोद कुमार
संयुक्त सचिव।

संख्या-7/2020/680(3)/तीस-4-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली।
(3) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त/कार्मिक/न्याय/राजस्व/गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग से सम्पर्क स्थापित कर उक्त अधिसूचना को प्रदेश के 02 प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु किसी अभिज्ञ अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
(5) समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
(6) विधायी अनुभाग-1
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

विनोद कुमार
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

UTTAR PRADESH SHASAN
PARIVAHAN ANUBHAG-4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 7/2020/680/XXX-4-2020, dated 14 July, 2020.

Notification

No 7/2020/680/XXX-4-2020
Lucknow: Dated 14 July, 2020

In exercise of the powers under section 3 of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997 (U.P. Act no. 21 of 1997) and in view of the lockdown declared due to spread of Corona virus (Covid-19), the Governor is pleased to exempt from the payment of penalty payble under sub-section (3) of section 9 in respect of due tax for Public service vehicle and Goods vehicle for March and April 2020.

This exemption will be provided only if the due tax of March and April, 2020 is paid within 30 days after issuance of this notification. Being leave-day of the last day of the said time limit, namely 30th day, the due tax will be provided on the next working-day.

By Order

Rajesh Kumar Singh
Principal Secretary

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।